

**भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
हबीबगंज भोपाल-462024
दूरभाष — 0755 2680250 से 53
E-mail- sanchi.bhopal@gmail.com**

“साँची मिल्क पार्लर संचालन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।”

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत भोपाल शहर में साँची पार्लर 8x6 साइज एवं ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत सीहोर, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, गुना, होशंगाबाद, एवं शाजापुर जिला अंतर्गत शुजालपुर शहरों में साँची पार्लर 8x8 साइज के आवंटन हेतु भौतिक रूप से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक आवेदनकर्ता इस कार्य हेतु आवेदन प्रपत्र एवं अन्य नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी www.sanchidairy.com एवं www.mpcdf.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।

आवेदनकर्ता को भोपाल शहर एवं अन्य ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत उपरोक्त वर्णित शहरों हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना होगा। इस हेतु पृथक-पृथक आवेदन प्रपत्र तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड किये गये हैं। आवेदन प्रपत्र www.sanchidairy.com एवं www.mpcdf.gov.in से डाउनलोड कर आवेदन प्रपत्र की राशि रु.100/- भोपाल दुग्ध संघ में जमा कर पावती आवेदन के साथ संलग्न कर वांछित दस्तावेजों सहित भौतिक रूप से दिनांक 23.09.2024 को सांय 05:00 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा। आवेदन प्रपत्र निर्धारित तिथि एवं समय उपरांत स्वीकार योग्य नहीं होंगे। प्राप्त सभी आवेदन प्रपत्रों के परीक्षण उपरांत आवंटन की अग्रिम कार्यवाही के संबंध में पात्र आवेदकों को सूचित किया जाएगा। पार्लर आवंटन हेतु आरक्षित एवं अनारक्षित वर्गवार स्थलों का चिन्हांकन कर सूची तैयार की गई है, जो कि आवेदन प्रपत्र के प्रपत्र क्र.05 पर वर्णित है। आरक्षित वर्ग के पात्र आवेदकों को पार्लर आवंटन हेतु राज्य शासन के प्रावधान अनुसार चिन्हित स्थान पर आवंटन किया जाएगा। आवेदन भरने संबंधी सम्पूर्ण जानकारी भोपाल दुग्ध संघ के विपणन कार्यालय से किसी भी कार्यालयीन दिवस में प्राप्त की जा सकती है। किसी भी आवेदन को सकारण निरस्त/स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को होगा।

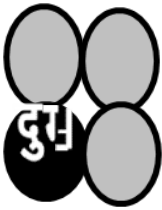
इस आवेदन में यदि कोई सुधार/संशोधन होता है तो सिर्फ उपरोक्त दर्शित वेबसाइट्स पर ही प्रकाशित किया जावेगा। अन्य और कोई भी माध्यम से प्रकाशित नहीं होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

मूल्य रु.100 /-

ग्रामीण क्षेत्रों में
साँची पार्लर आवंटन हेतु
आवेदन प्रपत्र वर्ष - 2021



भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
हबीबगंज डेयरी प्लांट, भोपाल - 462024
दूरभाष - 0755. 2680250 से 53
फैक्स नम्बर - 0755. 2450896

E- mail : sanchi.bhopal@gmail.com

Website : www.sanchidairy.com

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
डेरी प्लांट हबीबगंज भोपाल

“साँची पार्लर हेतु आवेदन प्रपत्र”

1.	आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की प्रारंभ तिथि एवं समय	दिनांक 03.09.2024 दोपहर 12:00 बजे से
2.	आवेदन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 23.09.2024 सांय 05:00 बजे तक
3.	आवेदनकर्ता का आवेदन प्रपत्र	प्रपत्र क्र. 01
4.	साँची पार्लर रखे जाने हेतु आवेदन एवं संचालन की आवश्यक शर्तें	प्रपत्र क्र. 02
5.	साँची पार्लर हेतु अनुबंध प्रपत्र का प्रारूप	प्रपत्र क्र. 04
6.	पार्लर रखने हेतु वांछित जगहों की सूची।	प्रपत्र क्र. 05

आवेदन प्रपत्र भरने हेतु ध्यान रखने योग्य बिन्दु :-

1. प्रपत्र क्र. 01 “आवेदनकर्ता का आवेदन प्रपत्र” एवं प्रपत्र क्र. 02 “पार्लर संचालन की शर्तें ” की प्रतिपूर्ति कर एक बंद लिफाफे में रखें लिफाफे पर लिफाफा A अंकित करें।
2. लिफाफा A एक अन्य लिफाफे में रखें एवं उस लिफाफे पर आवेदनकर्ता, अपना नाम, पता एवं जिस स्थल पर (शहर का नाम एवं स्थल का नाम) पार्लर संचालन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं स्पष्ट रूप से अंकित कर दुग्ध संघ कार्यालय में विज्ञापन में वर्णित अनुसार निर्धारित दिनांक 23.09.2024 को सांय 05:00 बजे तक जमा करें। पार्लर संचालन हेतु सभी आवश्यक अर्हताएं सफल पाये जाने पर चयन प्रक्रिया संबंधि कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी।

साँची पार्लर हेतु आवेदन प्रपत्र

सेवा में,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

स्वयं का प्रमाणित
फोटो चिपकाए

1. अ) नाम
 ब) पिता/पति का नाम
 स) लिंग पुरुष/महिला
2. वर्ग:(आवेदक कृपया अपने वर्ग के सम्मुख अंकित बॉक्स में सही का निशान लगाए)
 अनुसूचित जाति ☐ अनुसूचित जनजाति ☐
 अन्य पिछड़ा वर्ग ☐ सामान्य वर्ग ☐
 आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित वर्ग ☐
 (उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)
3. शैक्षणिक योग्यता:
 (न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकन्डरी पास) (अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है)
4. पता:
 अ) स्थाई पता : (आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न करें)
 (दूरभाष/ मोबाइल नं के साथ)
 ब) पत्र व्यवहार का पता:
 (दूरभाष/ मोबाइल नं के साथ)
5. वर्तमान व्यवसाय/कार्य:—
 — स्वयं का व्यवसाय
 — व्यवसाय के स्थान का पता (दूरभाष नम्बर)
6. आवेदक स्थल का पता:
7. वित्तीय स्थिति
 — वर्तमान व्यवसाय की लागत
 — वर्तमान व्यवसाय से आय
 — मिल्क पार्लर व्यवसाय हेतु लगाई जाने वाली पूंजी की व्यवस्था
8. दूध/दुग्ध पदार्थ व्यवसाय का कोई अनुभव (हाँ/नहीं)
 (स्वप्रमाणित दस्तावेज संलग्न करें)

9. किसी तरह का अपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण (हाँ/नहीं)

10. जमानतदार

(i) जमानतदार का नाम पूरा पता (दूरभाष सहित) व्यवसाय/मासिक आय.....
.....

(ii) जमानतदार का नाम पूरा पता (दूरभाष सहित) व्यवसाय/मासिक आय
.....

(एक जमानतदार सरकारी कर्मचारी होना अनिवार्य है)

11. पार्लर संचालन हेतु प्रस्तावित स्थल— अ. शहर का नाम

ब.स्थल का नाम.....

(आवेदनकर्ता शहर एवं स्थल का नाम स्पष्ट रूप से भरें, शब्दों में किसी भी प्रकार की कोई काटापिटी एवं ओवर राइटिंग न करें।)

घोषणा—

मेरे /हमारे द्वारा मिल्क पार्लर आवंटन से संबंधित समस्त शर्तें पढ़ और समझ चुका/चुकी हूँ और मान्य करता/करती हूँ। अतः मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है।

टिप्पणी :-

1. आवेदन प्राप्त एवं खोलने की तिथि में अवकाश घोषित होने पर अगले दिवस कार्यालयीन आवेदन प्राप्त कर खोले जाएंगे।

दिनांक

आवेदक का नाम.....

स्थान

हस्ताक्षर

आवेदन के साथ जमा किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची

क्र.	आवश्यक दस्तावेज
1.	आवेदन प्रपत्र क्रय करने की रु.100/- की मूल रसीद
2.	आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति
3.	जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति
4.	निशक्तजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्वप्रमाणित निःशक्ता प्रमाण पत्र
5.	आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र
6.	शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंड्री मार्कशीट की स्वप्रमाणित छायाप्रति। (अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदक 8वीं कक्षा की मार्कशीट की छायाप्रति संलग्न करें।)
7.	अनुभव संबंधी स्वप्रमाणित दस्तावेज। (यदि हो तो)
8.	एमपीसीडीएफ भोपाल एवं किसी भी दुग्ध संघों के प्राधिकृत अधिकारी, अध्यक्ष, अधिकारी, कर्मचारी, संचालक मंडल के सदस्य, दुग्ध समितियों के सचिव से रक्त संबंध नहीं है एवं न ही वे आश्रित परिवार के सदस्य हैं। किसी भी शासकीय, अर्धशासकीय संस्था से कभी भी, किसी भी कार्य से पृथक कर ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है एवं न ही किसी भी पुलिस थाने एवं न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है/चल रहा है के संबंध में रु.100/- के नॉन ज्युडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र।

नोट :-

- आवेदकों को आवेदन प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर एवं आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों को स्वहस्ताक्षरित करना अनिवार्य है एवं संलग्न किए जाने वाले आवेदक की फोटो को, आवेदक द्वारा स्वहस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है। आवेदन प्रपत्र स्वहस्ताक्षरित नहीं होने एवं फोटो स्वहस्ताक्षरित नहीं होने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
- उपरोक्त वर्णित दस्तावेज एवं आवेदन में वर्णित अन्य दस्तावेज आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न न करने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

साँची पार्लर रखे जाने हेतु आवेदन एवं संचालन की आवश्यक शर्त :-

- नगर निगम द्वारा स्वीकृत स्थानों पर पार्लर स्थापना हेतु आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग हेतु चिन्हांकन किया गया है। संबंधित वर्ग के आवेदक अपने वर्ग अनुसार केवल चिन्हांकित किये गये स्थानों हेतु आवेदन प्रस्तुत करें। यद्यपि आवेदक एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, परन्तु एक आवेदनकर्ता को एक ही पार्लर आवंटन किया जाएगा। पार्लर आवंटन हेतु वर्गवार स्वीकृत स्थलों की सूची आवेदन प्रपत्र के साथ प्रपत्र क्र.05 पर संलग्न है। एक बार आवेदन प्रस्तुत होने के उपरांत चयन प्रक्रिया के समय स्थल परिवर्तन हेतु आवेदनकर्ता की ओर से कोई भी लिखित आवेदन व कारण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2. चयन प्रक्रिया :-

पार्लर संचालन हेतु आवेदनकर्ता का चयन लॉटरी के माध्यम से होगा अर्थात् यदि प्रत्येक स्थान पर पार्लर हेतु केवल एक ही आवेदन प्राप्त होता है तो इस दशा में पात्र आवेदनकर्ता के समस्त दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत सफल पाये जाने पर पार्लर आवंटन कर दिया जावेगा तथा यदि एक स्थान पर एक से अधिक पात्र आवेदन प्राप्त होते हैं तो इस दशा में चयन लॉटरी के द्वारा होगा।

3. आरक्षण के प्रावधान :-

पार्लर आवंटन हेतु वर्गवार विवरण:-

जिला विदिशा :- पार्लर आवंटन हेतु प्राप्त स्वीकृत स्थलों की संख्या 22

सं. क्र	श्रेणी	कुल संख्या	निशक्तजन			शेष
			अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	
1	अनारक्षित महिला	3	0	0	0	3
	आरक्षित ओपन	7	0	0	0	7
2	अनुसूचित जाति महिला	1	0	0	0	1
	अनुसूचित जाति ओपन	3	0	0	0	3
3	अनुसूचित जनजाति महिला	1	0	0	0	1
	अनुसूचित जनजाति ओपन	3	0	0	0	3
4	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	1	0	0	0	1
	अन्य पिछड़ा वर्ग ओपन	2	0	0	0	2
5	आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित महिला वर्ग	0	0	0	0	0
	आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित ओपन वर्ग	1	0	0	0	1
कुल योग		22	0	0	0	22

जिला सिहोर :- पार्लर आवंटन हेतु प्राप्त स्वीकृत स्थलों की संख्या 26

सं. क्र	श्रेणी	कुल संख्या	निशक्तजन			शेष
			अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	स्वर्ण बाधित	
1	अनारक्षित महिला	3	0	0	0	3
2	अनारक्षित ओपन	7	1	0	0	6
2	अनुसूचित जाति महिला	1	0	0	0	1
3	अनुसूचित जाति ओपन	3	0	0	0	3
4	अनुसूचित जनजाति महिला	2	0	0	0	2
5	अनुसूचित जनजाति ओपन	3	0	0	0	3
6	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	1	0	0	0	1
7	अन्य पिछड़ा वर्ग ओपन	3	0	0	0	3
8	आर्थिक रूप कमजोर अनारक्षित वर्ग महिला	1	0	0	0	1
9	आर्थिक रूप कमजोर अनारक्षित वर्ग ओपन	2	0	0	0	2
कुल योग		26	1	0	0	25

जिला राजगढ़ :- पार्लर आवंटन हेतु प्राप्त स्वीकृत स्थलो की संख्या 06

सं. क्र	श्रेणी	कुल संख्या	निशक्तजन			शेष
			अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	
1	अनारक्षित महिला	<u>1</u>	0	0	0	<u>1</u>
	आरक्षित ओपन	<u>2</u>	0	0	0	<u>2</u>
2	अनुसूचित जाति महिला	<u>0</u>	0	0	0	<u>0</u>
	अनुसूचित जाति ओपन	<u>1</u>	0	0	0	<u>1</u>
3	अनुसूचित जनजाति महिला	<u>0</u>	0	0	0	<u>0</u>
	अनुसूचित जनजाति ओपन	<u>1</u>	0	0	0	<u>1</u>
4	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	<u>0</u>	0	0	0	<u>0</u>
	अन्य पिछड़ा वर्ग ओपन	<u>1</u>	0	0	0	<u>1</u>
5	आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित महिला वर्ग	<u>0</u>	0	0	0	<u>0</u>
	आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित ओपन वर्ग	<u>0</u>	0	0	0	<u>0</u>
कुल योग		<u>6</u>	0	0	0	<u>6</u>

जिला शाजापुर (शुजालपुर क्षेत्र) :- पार्लर आवंटन हेतु प्राप्त स्वीकृत स्थलो की संख्या 06

सं. क्र	श्रेणी	कुल संख्या	निशक्तजन			शेष
			अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	
1	अनारक्षित महिला	<u>1</u>	0	0	0	<u>1</u>
	आरक्षित ओपन	<u>2</u>	0	0	0	<u>2</u>
2	अनुसूचित जाति महिला	<u>0</u>	0	0	0	<u>0</u>
	अनुसूचित जाति ओपन	<u>1</u>	0	0	0	<u>1</u>
3	अनुसूचित जनजाति महिला	<u>0</u>	0	0	0	<u>0</u>
	अनुसूचित जनजाति ओपन	<u>1</u>	0	0	0	<u>1</u>
4	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	<u>0</u>	0	0	0	<u>0</u>
	अन्य पिछड़ा वर्ग ओपन	<u>1</u>	0	0	0	<u>1</u>
5	आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित महिला वर्ग	<u>0</u>	0	0	0	<u>0</u>
	आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित ओपन वर्ग	<u>0</u>	0	0	0	<u>0</u>
कुल योग		<u>6</u>	0	0	0	<u>6</u>

जिला गुना :- पार्लर आवंटन हेतु प्राप्त स्वीकृत स्थलो की संख्या 17

सं. क्र	श्रेणी	कुल संख्या	निशक्तजन			शेष
			अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	
1	अनारक्षित महिला	<u>3</u>	0	0	0	<u>3</u>
	आरक्षित ओपन	<u>5</u>	0	0	0	<u>5</u>
2	अनुसूचित जाति महिला	<u>1</u>	0	0	0	<u>1</u>
	अनुसूचित जाति ओपन	<u>2</u>	0	0	0	<u>2</u>
3	अनुसूचित जनजाति महिला	<u>1</u>	0	0	0	<u>1</u>
	अनुसूचित जनजाति ओपन	<u>2</u>	0	0	0	<u>2</u>
4	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	<u>1</u>	0	0	0	<u>1</u>
	अन्य पिछड़ा वर्ग ओपन	<u>1</u>	0	0	0	<u>1</u>
5	आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित महिला वर्ग	<u>0</u>	0	0	0	<u>0</u>
	आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित ओपन वर्ग	<u>1</u>	0	0	0	<u>1</u>
कुल योग		<u>17</u>	0	0	0	<u>17</u>

जिला रायसेन :- पार्लर आवंटन हेतु प्राप्त स्वीकृत स्थलो की संख्या 08

सं. क्र	श्रेणी	कुल संख्या	निशक्तजन			शेष
			अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	
1	अनारक्षित महिला	<u>1</u>	0	0	0	<u>1</u>
	आरक्षित ओपन	<u>3</u>	0	0	0	<u>3</u>
2	अनुसूचित जाति महिला	<u>0</u>	0	0	0	<u>0</u>
	अनुसूचित जाति ओपन	<u>1</u>	0	0	0	<u>1</u>
3	अनुसूचित जनजाति महिला	<u>1</u>	0	0	0	<u>1</u>
	अनुसूचित जनजाति ओपन	<u>1</u>	0	0	0	<u>1</u>
4	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	<u>0</u>	0	0	0	<u>0</u>
	अन्य पिछड़ा वर्ग ओपन	<u>1</u>	0	0	0	<u>1</u>
5	आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित महिला वर्ग	<u>0</u>	0	0	0	<u>0</u>
	आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित ओपन वर्ग	<u>0</u>	0	0	0	<u>0</u>
कुल योग		<u>8</u>	0	0	0	8

जिला होशंगाबाद :- पार्लर आवंटन हेतु प्राप्त स्वीकृत स्थलो की संख्या 07

सं. क्र	श्रेणी	कुल संख्या	निशक्तजन			शेष
			अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित	
1	अनारक्षित महिला	<u>1</u>	0	0	0	<u>1</u>
	आरक्षित ओपन	<u>3</u>	0	0	0	<u>3</u>
2	अनुसूचित जाति महिला	<u>0</u>	0	0	0	<u>0</u>
	अनुसूचित जाति ओपन	<u>1</u>	0	0	0	<u>1</u>
3	अनुसूचित जनजाति महिला	<u>0</u>	0	0	0	<u>0</u>
	अनुसूचित जनजाति ओपन	<u>1</u>	0	0	0	<u>1</u>
4	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	<u>0</u>	0	0	0	<u>0</u>
	अन्य पिछड़ा वर्ग ओपन	<u>1</u>	0	0	0	<u>1</u>
5	आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित महिला वर्ग	<u>0</u>	0	0	0	<u>0</u>
	आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित ओपन वर्ग	<u>0</u>	0	0	0	<u>0</u>
कुल योग		<u>7</u>	0	0	0	7

- उपरोक्त वर्णित आरक्षण तालिका में अन्य पिछड़ा वर्ग में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम क्र.21 सन् 1994 के अनुसार अनुसूचित जनजाती वर्ग हेतु 20 प्रतिशत, अनुसूचित जाति हेतु 16 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत एवं आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित वर्ग हेतु 10 प्रतिशत का आरक्षण निर्धारित किया गया है। मध्यप्रदेश लोक सेवा संशोधन अधिनियम 2019 में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया है, परन्तु माननीय न्यायालय में आरक्षण के संबंध में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण उपरोक्त तालिका में अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। भविष्य में प्रकरण पर निर्णय अनुसार पुनरीक्षित आरक्षण लागू किया जाएगा।
- अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की ओपन श्रेणी में महिलाएँ भी आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं।
- अनारक्षित श्रेणी में अन्य आरक्षित वर्ग के आवेदक भी आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।
- पार्लर में आरक्षण अन्य पिछड़े वर्गों के आवेदकों के ऐसे प्रवर्गों को लागू नहीं होगा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सम्पन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) के रूप में अधिसूचित किए जाएँ।
- प्रत्येक वर्ग हेतु कुल आरक्षण अनुसार पार्लर में से उसी वर्ग की महिला एवं ओपन हेतु क्रमशः 33 एवं 67 प्रतिशत पार्लर आरक्षित होंगे। प्रत्येक (महिला या ओपन) हेतु कुल आरक्षित पार्लरों में से 06 प्रतिशत पार्लर निःशक्तजन हेतु आरक्षित होंगे। जिनमें से 02 प्रतिशत अस्थिबाधित, दो प्रतिशत दृष्टिबाधित एवं दो प्रतिशत श्रवणबाधित निःशक्तजनों हेतु आरक्षित होंगे।
- आरक्षित वर्ग के आवेदकों को आवेदन के साथ जाति प्रमाण-पत्र, निशक्तजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्ता प्रमाण पत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र

स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी अन्यथा आवेदक के आवेदन को सामान्य वर्ग का आवेदन मान्य किया जावेगा।

11. आवेदकों को आवेदन प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर एवं आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों को स्वहस्ताक्षरित करना अनिवार्य है एवं संलग्न किए जाने वाले आवेदक की फोटो को, आवेदक द्वारा स्वहस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है। आवेदन प्रपत्र स्वहस्ताक्षरित नहीं होने एवं फोटो स्वहस्ताक्षरित नहीं होने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
12. इस प्रक्रिया में निर्धारित सूची में क्रम अनुसार प्रत्येक पार्लर के आरक्षित वर्ग के एक से अधिक पात्र आवेदक पाए जाने पर पार्लर संचालन हेतु आवेदक का चयन लॉटरी द्वारा किया जाएगा।
13. आवेदक का चयन होने पर पार्लर निर्माण आवेदक को स्वयं के व्यय पर कराना होगा। पार्लर स्ट्रक्चर का डिजाइन दुग्ध संघ द्वारा पूर्ण विवरण के साथ उपलब्ध करा दिया जाएगा। नगर निगम द्वारा आवंटित स्थान के अनुसार पार्लर का साईज़ 8 फीट x 6 फीट होगा।
14. सफल आवेदनकर्ता को पार्लर आवंटन होने के पश्चात् प्रतिभूति राशि, अनुबंध निष्पादन, फूड लायसेंस एवं जीएसटी नम्बर एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज इत्यादि औपचारिकता पत्र जारी होने से एक माह में जमा करना अनिवार्य होगा तथा 45 दिवस में पार्लर निर्माण कार्य पूर्ण कर संचालन आरम्भ करना होगा। निर्धारित अवधि में उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण न करने की दशा में पार्लर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
15. आवेदन स्वीकृति के उपरांत पार्लर संचालक की कार्य अवधि तीन वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा पार्लर संचालक का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों पर पार्लर संचालन का आगामी 2 वर्षों के लिए रिनीवल किया जा सकेगा। दुग्ध संघ द्वारा पार्लर संचालक का कार्य उक्त अवधि में संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर कार्य आवंटन निरस्त करते हुए पुनः आवंटन करने हेतु दुग्ध संघ स्वतंत्र रहेगा।
16. आवंटी को रु.10000/- (दस हजार रुपये मात्र) बतौर प्रतिभूति राशि के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जो कि "भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल" पेयबल एट भोपाल के नाम से देय होगा, तैयार कर जमा करना अनिवार्य होगा। जमा प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
17. आवंटित स्थान पर आवेदक को किसी विवाद की दशा में स्थल आवंटित करने की स्वतंत्रता दुग्ध संघ को होगी।
18. सफल आवेदनकर्ता को पार्लर में पेंटिंग, बिजली बिल, डी-फ्रीजर की व्यवस्था विक्रय के अनुरूप स्वयं के स्तर से करनी होगी। इस हेतु दुग्ध संघ स्तर से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
19. सफल आवेदनकर्ता को पार्लर का नियमानुसार मासिक किराया राशि रु.500/- अथवा नगर निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित मासिक किराया राशि अनुसार नगर निगम के संबंधित जून कार्यालय में भोपाल दुग्ध संघ के नाम से जमा करना होगा तथा किये गये भुगतान की पावती की एक प्रति दुग्ध संघ के विपणन कार्यालय को लिखित आवेदन के साथ मासिक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ताकि लेखा-जोखा संधारित किया जा सके।
20. पार्लर संचालक को न्यूनतम 100 लीटर प्रतिदिन दूध का विक्रय एवं रु.500/- के दुग्ध उत्पाद प्रथम तीन माह की अवधि में प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात् दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय में वृद्धि प्राप्त करनी होगी, दिये गये माहवार विक्रय लक्ष्यों में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि अनुबंध का एक वर्ष पूर्ण होने पर की जायेगी तथा इस प्रकार नवीन निर्धारित लक्ष्य ही उस वर्ष के लिये पार्लर संचालक को मान्य व स्वीकार होंगे।
21. पार्लर संचालक की कार्य समीक्षा दुग्ध संघ द्वारा त्रैमासिक आधार पर की जायेगी तथा पार्लर संचालक द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति न होने की दशा में गतमाह का शेष लक्ष्य आगामी माह के लक्ष्य में जोड़ दिया जायेगा। यदि तीन माह तक कुल संचयित मासिक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जाती है तो त्रैमासिक कार्य समीक्षा उपरांत चेतावनी दी जायेगी एवं अंतिम तीन माह का समय कुल संचयित लक्ष्य प्राप्ति हेतु दिया जायेगा। अर्द्धवार्षिक समीक्षा उपरांत यदि यह पाया जाता है कि कुल संचयित मासिक लक्ष्यों के विरुद्ध 100% लक्ष्य प्राप्ति नहीं की गई है तो कार्य आवंटन निरस्त कर कार्य से पृथक कर दिया जायेगा।
22. सफल आवेदनकर्ता, पार्लर एजेंट के रूप में दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ वितरक के अधीन कार्य करेंगे तथा इन्हे वितरक के माध्यम से दूध एवं दुग्ध पदार्थ प्रदाय किया जावेगा। यदि वितरक द्वारा आवेदनकर्ता को विक्रेता दरों पर प्रदायगी तथा निर्धारित मार्जिन नहीं दिया जाता है तो इसकी सूचना पार्लर संचालक दुग्ध संघ प्रबंधन को देगा।
23. सफल आवेदनकर्ता अपने आसपास के क्षेत्रों में उपभोक्ताओं से संपर्क करेंगे, दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की होम डिलेवरी सुनिश्चित करेंगे तथा एडवांस कार्ड भी अनिवार्य रूप से बनाएंगे।
24. पार्लर आवंटन हेतु आवंटी को रु.1000/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर निर्धारित शर्तों का अनुबंध निष्पादन करना होगा। अनुबंध का प्रारूप प्रपत्र क्र.04 पर संलग्न है।
25. सफल आवेदनकर्ता, वितरक से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की प्रदायगी के दौरान दुग्ध पैकेट्स/दुग्ध पदार्थों के टूटफूट/लीकेज इत्यादि की जाँच करने के उपरांत ही प्रदायगी लेवें अन्यथा एक बार प्रदायगी होने के उपरांत किसी भी प्रकार से तत्संबंध में लीकेज/टूटफूट इत्यादि की हानि होने पर जिम्मेदारी संबंधित आवेदनकर्ता की होगी।
26. आवेदनकर्ता आवेदन प्रपत्र के नियम एवं शर्तों का विस्तृत रूप से अध्ययन कर/पढ़कर आवेदन में मांगे गये आवश्यक अर्हताओं की प्रतिपूर्ति कर आवेदन भरें। अन्यथा चयन प्रक्रिया के समय किसी भी प्रकार से

जानकारी/दस्तावेजों में कम पाये जाने की दशा में इस प्रकार के आवेदनों को निरस्त कर दिया जावेगा, जिसकी जवाबदेही संबंधित आवेदनकर्ता की होगी।

27. आवेदनकर्ता को आवेदन प्रपत्र के साथ रु 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आवेदनकर्ता का "एमपीसीडीएफ भोपाल एवं किसी भी दुग्ध संघों के प्राधिकृत अधिकारी, अध्यक्ष, अधिकारी, कर्मचारी, संचालक मंडल के सदस्य, दुग्ध समितियों के सचिव से रक्त संबंध नहीं है एवं न ही वे आश्रित परिवार के सदस्य है। आवेदनकर्ता को किसी भी शासकीय, अर्धशासकीय संस्था से कभी भी, किसी भी कार्य से पृथक् कर ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है एवं न ही आवेदनकर्ता को किसी भी पुलिस थाने एवं न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है/चल रहा है। यदि भविष्य में उक्त शपथ गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ द्वारा आवंटी का आवंटन निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जाएगी एवं उसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही हेतु दुग्ध संघ स्वतंत्र होगा। जो कि आवेदनकर्ता को मान्य होगा।" (आवेदन प्रपत्र के प्रपत्र क्र. 03 पर प्रारूप संलग्न है, का अवलोकन कर प्रस्तुत करें।)
28. किसी भी प्रकरण में प्रथम पक्ष (भोपाल दुग्ध संघ) एवं द्वितीय पक्ष के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबिट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
29. आवेदक यदि पूर्व से ही दूध या दुग्ध पदार्थों का व्यवसाय कर रहे हो तो उनके आवेदन पर तभी विचार किया जावेगा, जब आवेदक यह घोषणा-पत्र आवेदन के साथ संलग्न करें कि पार्लर आवंटन की स्थिति में आवेदक द्वारा खुले अथवा अन्य ब्रांड के दूध, घी एवं दुग्ध पदार्थ का विक्रय पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। आवेदक पूर्व से ही साँची पार्लर का संचालन कर रहा है तो उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
30. विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदनो में यदि ऐसा कोई आवेदक का आवेदन प्राप्त होगा जिसका दुग्ध संघ में रिकार्ड खराब हो अथवा पूर्व में दुग्ध संघ की नीतियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई हो तो उस आवेदक का आवेदन दुग्ध संघ स्तर पर निरस्त कर दिया जावेगा एवं आवेदन को आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
31. चयन उपरांत सफल आवेदनकर्ता द्वारा किसी भी परिस्थिति में पार्लर को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर दिया जा सकेगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो आवंटन निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जाएगी।

मैंने उपरोक्त आवेदन में वर्णित आवंटन की नियम एवं शर्तों तथा अनुबंध की शर्तों को भलीभांती पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। मुझे आवेदन में वर्णित आवंटन की नियम एवं शर्तों तथा अनुबंध की सभी शर्तें मान्य है एवं इस हेतु अपनी सहमति देता/देती हूँ।

दिनांक

हस्ताक्षर

आवेदनकर्ता का नाम एवं पता

शपथ पत्र (केवल रु. 100/- के नोटराइज्ड स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मैं यह शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि –

1. मेरा एमपीसीडीएफ भोपाल, किसी भी दुग्ध संघों के अध्यक्ष, प्राधिकृत अधिकारी, संचालक मंडल के सदस्य, दुग्ध समिति के सचिव, अधिकारी एवं कर्मचारी से किसी भी प्रकार का कोई रक्त संबंध नहीं है एवं ना ही मैं आश्रित परिवार का सदस्य हूँ।
2. मुझे कभी भी किसी भी शासकीय, अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया है तथा मेरा किसी भी न्यायालय, पुलिस थाने में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है/चल रहा है।
3. मेरे द्वारा पार्लर आवंटन की स्थिति में खुले अथवा अन्य ब्रांड के दूध, घी एवं दुग्ध पदार्थ का विक्रय पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा।

यदि इस संबंध में किसी भी प्रकार से उपरोक्त वचन/शपथ गलत पाया जाता है तो भोपाल दुग्ध संघ प्रबंधन मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा एवं इस हेतु मैं/हम अपनी सहमती देता हूँ/देती हूँ।

दिनांक—

गवाह—

1 नाम

पता—

.....

.....

मो.नं.—

आधारकार्ड नं.—

2 नाम—

पता—

.....

.....

मो.नं.—

आधारकार्ड नं.—

हस्ताक्षर आवेदनकर्ता

नाम—

पता—

.....

.....

मो.नं.

यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल (जिन्हें आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) एवं श्री/श्रीमति/कु पुत्र /पत्नी/पुत्री श्री आयुवर्ष, निवासी (जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन निष्पादित किया जाता है:-

1. (अ.) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा साँची दूध, घी एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय संबंधी व्यवस्था हेतु द्वितीय पक्ष के आवेदन परसाँची पार्लर से दूध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय हेतु अधिकृत किया है।।
- (ब.) यह कि यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है एवं प्रथम पक्ष द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा 30 दिन का अग्रिम नोटिस देकर यह अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। नोटिस इस अनुबंध में वर्णित पते पर पंजीकृत/पावती डाक द्वारा भेजा जावेगा। यदि अन्यथा पूर्व में ही नया पता सूचित नहीं किया गया है तथा इस प्रकार भेजा गया पत्र/नोटिस प्राप्त कर लिया माना जावेगा। द्वितीय पक्ष एजेंटशिप त्यागने/छोड़ने हेतु प्रथम पक्ष को लिखित में कम से कम 30 दिवस पूर्व सूचित करेगा, किन्तु प्रथम पक्ष द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने तक कार्य सम्पादन हेतु बाध्य होगा।
- (स) यह कि अनुबंध नियुक्त तिथि से तीसरे वित्तीय वर्ष अर्थात् वर्ष की दिनांक 31.03 तक की अवधि के लिए प्रभावशील माना जावेगा अर्थात् इस अनुबंध की अवधि प्रथम बार में नियुक्त तिथि के वित्तीय वर्ष की दिनांक 31मार्चतक होगी। उसके बाद पुनः अनुबंध नवीनीकरण की अवस्था में अनुबंध की अवधि दिनांक 01 अप्रैल से प्रभावी होगी। यदि द्वितीय पक्ष साँची पार्लर निरंतर चलाना चाहता है तो उसे इसी अनुसार नया अनुबंध तीसरे वित्तीय वर्ष की दिनांक 31 मार्च तक समाप्त होने के एक माह पूर्व निष्पादित करना होगा अन्यथा साँची पार्लर अन्य व्यक्ति को देने के लिए प्रथम पक्ष स्वतंत्र रहेगा।
- (द) यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो प्रथम पक्ष बिना नोटिस कार्य आवंटन निरस्त कर अनुबंध समाप्त कर सकेगा।
- (इ) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध निरस्त करने पर द्वितीय पक्ष को निर्धारित अवधि में साँची पार्लर स्ट्रक्चर को हटाकर स्थान का कब्जा प्रथम पक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति अथवा दुग्ध संघ के अधिकारी को देना होगा, ऐसा न करने पर प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह साँची पार्लर का कब्जा कर ले। इस हेतु आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें द्वितीय पक्ष को आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।
- (उ) यह कि अनुबंध के अंतर्गत विषयो के संबंधित उभय पक्षों के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में समस्त क्षेत्राधिकार सहकारी अधिनियम के अंतर्गत सक्षम न्यायालय को होगा।
- (ऊ) समस्त विवादों के निपटारे के लिये न्यायिक कार्य क्षेत्र भोपाल ही होगा।
2. (अ) यह कि भविष्य में जमानत राशि में वृद्धि करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा। जिसे जमा करने हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य रहेगा।
- (ब) यह कि अमानत राशि से साँची पार्लर संबंधी किसी भी बकाया या नुकसान की राशि की भरपाई करने का अधिकार प्रथम पक्ष को रहेगा।
- (स) यह कि अनुबंध की पूर्ति हेतु दो व्यक्तियों की रूपये 25000/-..... प्रत्येक की जमानत देना अनिवार्य होगा तथा उक्त जमानतनामों भी इस इकरारनामे के जमानतदारों पर बंधनकारक होंगे।
- (द) यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रतिभूति राशि वापसी के आवेदन करने पर संबंधित वितरक सह-परिवहनकर्ता से नो-ड्यूज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सिक्कुरिटी वापस की जाएगी।
- (ई) द्वितीय पक्ष को एफएसएसआई का नियमानुसार लायसेंस/रजिस्ट्रेशन, जीएसटी तथा अन्य समस्त वैधानिक दस्तावेज जो वर्तमान में प्रभावशील है तथा भविष्य में प्रभावशील होंगे। अपने व्यय से बनवाकर कार्य आदेश प्राप्ति के पूर्व अनिवार्य रूप से दुग्ध संघ को उपलब्ध कराने होंगे।
3. (अ) द्वितीय पक्ष को आवंटित इस साँची पार्लर को नीचे दर्शाई गई समयावधि में खुला रखना होगा।

प्रातः बजे से बजे
 सायं बजे से बजे

- (ब) यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर निर्धारित दूध एवं दुग्ध पदार्थों की विक्रय मूल्य तालिका एवं साँची पार्लर खुलने व बंद होने की समय तालिका डिपो/साँची पार्लर पर लगाना आवश्यक होगा तथा तदनुसार ही साँची पार्लर खोलना होगा।
- (स) उपभोक्ता यदि दूध की घर पहुँच सेवा चाहता है तो द्वितीय पक्ष घर पहुँच सेवा के लिये बाध्य होगा। घर पहुँच सेवा सुविधा न देने पर प्रथम पक्ष कार्य आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।
- (द) एजेन्ट को दोनों समय सुबह-शाम दूध का विक्रय करना अनिवार्य होगा।
4. (अ.) यह कि साँची पार्लर जिसे द्वितीय पक्ष स्वयं के व्यय से दुग्ध संघ के निर्धारित डिजाइन एवं साइज़ अनुसार निर्माण करेगा, जिस स्थान पर रखी गई है उस स्थान का आधिपत्य प्रथम पक्ष एवं नगर निगम भोपाल का होगा। यद्यपि पार्लर स्ट्रक्चर का स्वामित्व द्वितीय पक्ष का ही रहेगा, परन्तु द्वितीय पक्ष उक्त पार्लर को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को साँची पार्लर या भूमि के हस्तांतरण करने का कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसा करते पाए जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष का कार्य आवंटन निरस्त कर स्थान का कब्जा ले लिया जाएगा।
- (ब) यह कि नगर निगम/अन्य निकाय से पार्लर द्वारा विक्रय किये जाने वाले पदार्थों का विक्रय लायसेंस द्वितीय पक्ष को स्वयं के व्यय से प्राप्त करना होगा।
- (स) यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा समस्त कानून अथवा उपनियम का पालन आवश्यक होगा। नाप-तौल विभाग, नगर निगम, खाद्य विभाग या अन्य प्रशासनिक विभाग द्वारा बनाये गये किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर द्वितीय पक्षकार की जिम्मेदारी रहेगी।
- (द) यह कि पार्लर में फ्रिज/डीप फ्रीजर की व्यवस्था विक्रय अनुसार द्वितीय पक्ष को स्वयं अपने व्यय पर करनी होगी।
- (इ) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित दूध एवं दुग्ध पदार्थों के अतिरिक्त ऐसा कोई पदार्थ द्वितीय पक्ष द्वारा पार्लर से विक्रय नहीं किया जा सकेगा जो प्रथम पक्ष द्वारा उत्पादित पदार्थों के समानतर हो या उसके द्वारा प्रतिबंधित हो।
- (ई) यह कि पार्लर पर होने वाले व्यय जैसे भूमि, किराया, विद्युत, पानी एवं अन्य व्यय एवं रखरखाव व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जावेगा एवं निर्धारित समय में संबंधित विभाग अथवा संघ के निर्देशानुसार संघ कार्यालय में जमा किया जावेगा।
- (उ) यह कि द्वितीय पक्ष विक्रय स्थल का अनुचित प्रयोग नहीं करेंगे न ही किसी अन्य व्यक्ति को अन्य कार्य हेतु देंगे एवं विक्रय स्थल को स्वच्छ एवं दुर्गन्ध रहित रखेंगे। दुग्ध संघ के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा समय-समय पर पार्लर का निरीक्षण किया जाएगा।
5. (अ) प्रथम पक्ष के अधिकृत वितरक द्वारा द्वितीय पक्ष को प्रदाय की गई साँची दूध, घी एवं दुग्ध पदार्थ की पूर्ण राशि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के अधिकृत वितरक के निर्धारित बैंक में प्रतिदिन अनिवार्य रूप से जमा कराया जाना होगा।
- (ब) क्योंकि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के लिए स्वीकृत एजेंट बतौर कार्य/व्यवसाय संबंधित उपभोक्ताओं से कर रहा है। अतः उपभोक्ताओं से लेन-देन की समस्त जबाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी व किसी भी तरह उपजे विवाद के निराकरण वास्ते प्रथम पक्ष द्वारा दिशा निर्देशों के पालनार्थ द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।
- (स) यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित उपभोक्ता दरों पर ही साँची दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय करने होंगे। निर्धारित उपभोक्ता दरों (एम.आर.पी) से अधिक दर पर विक्रय किये जाने पर द्वितीय पक्ष का कार्य आवंटन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा।
- (द) प्रथम पक्ष द्वारा प्रदत्त एडवांस पुस्तिकाओं के तहत उपभोक्ताओं के बनाये गये एडवांस कार्ड के तहत प्राप्त राशि का लेखा-जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा। प्रस्तुत पुस्तिकाओं के माध्यम से प्राप्त की गई अग्रिम राशि का पूर्ण रूपसे भोपाल सहकारी दुग्ध संघ भोपाल के खाते में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रथम पक्ष द्वारा प्रदत्त एडवांस कार्ड पुस्तिकाओं में की गई हेरा फेरी गंभीर धोखाधड़ी की श्रेणी में यह कृत्य आवेगा तथा द्वितीय पक्ष पर पुलिस कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही के द्वारा प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह उपभोक्ताओं को उसकी राशि द्वितीय पक्ष से वापस करवा सके।
- (इ) पार्लर एजेंट द्वारा दुग्ध विक्रय अग्रिम कार्ड, पार्लर किराया अथवा अन्य कोई भी राशि नगदी के रूप में दुग्ध संघ के किसी भी कर्मचारी को नहीं दी जावे। यदि किसी विशेष परिस्थिति में नगदी राशि जमा करना अति-आवश्यक है तो स्वयं दुग्ध संघ की वित्त शाखा में जमा कर उसकी प्राप्ति अवश्य ली जावे।
6. यह कि प्रथम पक्ष के अधिकृत वितरक द्वारा माल की अदायगी के समय ही द्वितीय पक्ष पैकेट/बॉटल की सील, गुणवत्ता एवं मात्रा आदि की जांच कर संतुष्टि की दशा में ही माल

- प्राप्त करेंगे एवं सतर्कता से वितरण करेंगे। प्राप्ति के उपरांत माल की शुद्धता एवं सील की पूर्ण जबाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी।
7. यह कि शासन के संबंधित विभाग जैसे कि नगर निगम अथवा खाद्य विभाग द्वारा सेम्पल की मांग की जाने पर सील लगी इकाई ही द्वितीय पक्ष को देवेंगे इस संबंध में तुरंत प्रथम पक्ष को सूचित करेंगे यदि द्वितीय पक्ष ने सेम्पल हेतु लीकेज/बगैर सील की कोई इकाई या खुला पदार्थ दिया हो तो उसकी जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी। प्रथम पक्ष की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी।
 8. यह कि पार्लर में प्रथम पक्ष द्वारा जो प्रचार-प्रसार सामग्री भविष्य में उपलब्ध कराई जाएगी एवं केन, क्रेटस, बॉटल प्रदाय किये जायेंगे किसी भी कारण उसकी टूट-फूट/नुकसान होने पर प्रचलित बाजार मूल्य से उसकी भरपाई द्वितीय पक्ष को करना होगी।
 9. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा वितरक के माध्यम से प्रदाय किये गये दूध एवं दुग्ध पदार्थ एवं खाली क्रेटस, बॉटल का लेखा-जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा एवं मांग किए जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
 10. पार्लर आवंटन होने के पश्चात् यदि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत की जानकारी अथवा दस्तावेज भविष्य में असत्य पाए गए तो प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष का कार्य आवंटन निरस्त कर संघ में जमा प्रतिभूति राशि राजसात।
 11. यह कि प्रथम पक्ष से कोई भी पत्र व्यवहार द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा एवं प्रथम पक्ष द्वारा बुलाये जाने पर द्वितीय पक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रथम पक्ष के कार्यालय में उपस्थित होंगे।
 12. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा विक्रय संबंधी जो नियम वर्तमान में प्रचलित हैं एवं भविष्य में समय-समय पर बनाये जायेंगे, द्वितीय पक्ष को उसका पालन करना अनिवार्य होगा।
 12. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर दिए गए पार्लर के समय एवं दुग्ध पदार्थ के माह कमीशन की राशि संबंधी परिवर्तन के आदेश द्वितीय पक्ष पर बंधनकारक रहेगा।
 13. यह कि इस अनुबंध की शर्तें व नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा, जिसकी सूचना द्वितीय पक्ष को दी जावेगी, एवं द्वितीय पक्ष उसका पालन करेगा।
 14. द्वितीय पक्ष द्वारा पार्लर निर्माण स्वयं के व्यय पर कराना होगा। पार्लर स्ट्रक्चर का डिजाइन दुग्ध संघ द्वारा पूर्ण विवरण के साथ उपलब्ध करा दिया जाएगा। नगर निगम द्वारा आवंटित स्थान के अनुसार पार्लर का साईज 8 फीट x 6 फीट होगा।
 15. द्वितीय पक्ष को औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु जारी पत्र की दिनांक से 45 दिवस में पार्लर निर्माण कार्य पूर्ण कर संचालन आरम्भ करना होगा।
 16. आवेदन स्वीकृति के उपरांत पार्लर संचालक की कार्य अवधि तीन वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा पार्लर संचालक का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की समान शर्तों पर पार्लर संचालन का आगामी 2 वर्षों के लिए रिनीवल किया जा सकेगा। दुग्ध संघ द्वारा पार्लर संचालक का कार्य उक्त अवधि में संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर कार्य आवंटन निरस्त करते हुए पुनः आवंटन करने हेतु दुग्ध संघ स्वतंत्र रहेगा।
 17. द्वितीय पक्ष को ₹.10000/- (दस हजार रुपये मात्र) बतौर प्रतिभूति राशि के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जो कि "भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल" पेयबल एट भोपाल के नाम से देय होगा, तैयार कर जमा करना अनिवार्य होगा। जमा प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
 18. द्वितीय पक्ष को पार्लर में पेंटिंग, बिजली बिल, डी-फ्रीजर की व्यवस्था स्वयं के स्तर से करनी होगी। इस हेतु दुग्ध संघ स्तर से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
 19. द्वितीय पक्ष को पार्लर का नियमानुसार मासिक किराया राशि ₹.500/- अथवा नगर निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित मासिक किराया राशि अनुसार नगर निगम के संबंधित जून कार्यालय में जमा करना होगा तथा किये गये भुगतान की पावती की एक प्रति दुग्ध संघ के विपणन कार्यालय को लिखित आवेदन के साथ मासिक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ताकि लेखा-जोखा संधारित किया जा सके।
 20. द्वितीय पक्ष आवंटित पार्लर में किसी अन्य प्रतिस्पर्धी ब्राण्ड का विक्रय नहीं करेगा और ना ही बिड़ी, गुटका, तम्बाकू उत्पाद अथवा अन्य कोई भी प्रतिबंधित सामग्री का विक्रय करेगा अन्यथा इसका उल्लंघन करते पाये जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा पार्लर आवंटन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा, जिसके लिए द्वितीय पक्ष स्वयं उत्तरदायी होगा।
 21. द्वितीय पक्ष को न्यूनतम 100 लीटर प्रतिदिन दूध का विक्रय एवं ₹.500/- के दुग्ध उत्पाद विक्रय लक्ष्य प्रथम तीन माह की अवधि में प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात् दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय में वृद्धि प्राप्त करनी होगी, दिये गये माहवार विक्रय लक्ष्यों में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि अनुबंध का एक वर्ष पूर्ण होने पर की जायेगी तथा इस प्रकार नवीन निर्धारित लक्ष्य ही उस वर्ष के लिये पार्लर संचालक को मान्य व स्वीकार होंगे।

22. द्वितीय पक्ष की कार्य समीक्षा दुग्ध संघ द्वारा त्रैमासिक आधार पर की जायेगी तथा द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति न होने की दशा में गतमाह का शेष लक्ष्य आगामी माह के लक्ष्य में जोड़ दिया जायेगा। यदि तीन माह तक कुल संचयित मासिक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जाती है तो त्रैमासिक कार्य समीक्षा उपरांत चेतावनी दी जायेगी एवं अंतिम तीन माह का समय कुल संचयित लक्ष्य प्राप्ति हेतु दिया जायेगा। अर्द्धवार्षिक समीक्षा उपरांत यदि यह पाया जाता है कि कुल संचयित मासिक लक्ष्यों के विरुद्ध 100% लक्ष्य प्राप्ति नहीं की गई है तो कार्य आवंटन निरस्त कर कार्य से पृथक् कर दिया जायेगा।
23. द्वितीय पक्ष, पार्लर एजेंट के रूप में दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ वितरक के अधीन कार्य करेंगे तथा इन्हे वितरक के माध्यम से दूध एवं दुग्ध पदार्थ प्रदाय किया जावेगा। यदि वितरक द्वारा द्वितीय पक्ष को विक्रेता दरों पर प्रदायगी तथा निर्धारित मार्जिन नहीं दिया जाता है तो इसकी सूचना द्वितीय पक्ष दुग्ध संघ प्रबंधन को देगा।
24. द्वितीय पक्ष अपने आसपास के क्षेत्रों में उपभोक्ताओं से संपर्क करेंगे, दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की होम डिलेवरी सुनिश्चित करेंगे तथा एडवांस कार्ड भी अनिवार्य रूप से बनाएंगे।
25. द्वितीय पक्ष, वितरक से दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की प्रदायगी के दौरान दुग्ध पैकेट्स/दुग्ध पदार्थों के टूटफूट/लीकेज इत्यादि की जाँच करने के उपरांत ही प्रदायगी लेवें अन्यथा एक बार प्रदायगी होने के उपरांत किसी भी प्रकार से तत्संबंध में लीकेज/टूटफूट इत्यादि की हानि होने पर जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
26. यह अनुबंध दोनो पक्षों के अधिकृत वारिसों पर भी लागू होगा। इसके लिये द्वितीय पक्ष द्वारा विधि अनुसार श्री/श्रीमति/कु..... को अधिकृत वारिस नामित किया गया है।
27. प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले पत्र/परिपत्र, दिशा निर्देश एवं आवेदन प्रपत्र के प्रपत्र क्र.02 में वर्णित नियम एवं शर्तें इस अनुबंध का भाग मानी जाएंगी। जिसका शत प्रतिशत पालन द्वितीय पक्ष को करना होगा। किसी भी नियम शर्तों के उल्लंघन पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष का कार्य आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।
28. किसी भी प्रकरण में प्रथम पक्ष (भोपाल दुग्ध संघ) एवं द्वितीय पक्ष के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबिट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

उपरोक्त अनुबंध की समस्त शर्तों को उभय पक्षों ने पढ़कर, समझ ली है एवं पूर्ण होश हवास में बिना किसी दबाव के हस्ताक्षरित कर निष्पादित की गयी है।

दिनांक

गवाह:

1 हस्ताक्षर:-

नाम
पता.....

हस्ताक्षर

1. प्रथम पक्षकार

2 हस्ताक्षर:-

नाम
पता.....

हस्ताक्षर

2. द्वितीय पक्षकार

जमानतनामा

मैं जमानतदार सर्व आत्मज श्री आयु.....
..... मे है कि, कार्यालय प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष, पुत्र श्री ..
..... आयु निवासी
..... के बीच आज दिनांकको पार्लर/बूथ अनुबंध लिख गया है। इस अनुबंध
के तहत यदि प्रथम पक्ष को कोई नुकसान हुआ तो उसके लिये रुपये 25000/- (रु पच्चीस
हजार) तक के नुकसान की जवाबदारी हमारी रहेगी अगर नुकसानी की राशि द्वितीय पक्ष ने अदा
नही की तो वह मैं जमानतदार स्वयं प्रथम पक्ष को भुगतान करूंगा अन्यथा प्रथम पक्ष हमारी
चल-अचल संपत्ति से वसूल करने के अधिकारी रहेंगे।

सादर जमानतदार प्रथम पक्ष के पक्ष में द्वितीय पक्ष द्वारा लिखे पार्लर/बूथ अनुबंध की पूर्ति के
जमानत बतौर मैंने आज दिनांक को लिख दिया है।

गवाहा :

हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

मोबाइल.....

जमानतदार:

हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

मोबाइल.....

शपथ पत्र

मैं..... आत्मज श्री आयु निवासी.....
..... शपथपूर्वक यह कथन करता हूँ कि

1. मैंने आज दिनांक को यह अनुबंध करार भोपाल सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित भोपाल से दूध एवं दुग्ध पदार्थ साँची डिपो/साँची पार्लर के माध्यम से विक्रय हेतु किया है जिसकी समस्त सेवा शर्ते मुझे मान्य है।
2. यह कि यह शपथ पत्र मे प्रथम पक्षकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल के साथ हुये अनुबंध के समर्थन में प्रस्तुत कर रहा हूँ तथा यह शपथपत्र अनुबंध का अभिन्न अंग ही माना जायेगा।

पथग्रहिता.....

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ कि शपथपत्र के उपरोक्त
चरण मेरी स्वयं की जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। सत्यापन आज दिनांक
..... को में किया गया।

शपथग्रहिता.....

सिहोर शहर में पार्लर रखने हेतु आरक्षित स्थलो की सूची।

साँची पार्लर साइज '8 X 8'

पार्लर क्र.	स्थान का नाम	शहर का नाम	वर्ग
8	नगर परिषद के सामने नयाकुआ रोड	रेहटी	अनुसूचित जनजाति ओपन
9	दशहरा मैदान रोड हनुमान मंदिर के पास	रेहटी	अनारक्षित ओपन
10	नवीन बस स्टैण्ड परिषद	रेहटी	अनारक्षित महिला
12	पुराना बाल बिहार मेन रोड चुन्नु कबाड़ी के बगल में	नसरुल्लागंज	अनुसूचित जनजाति ओपन
13	जामा मस्जिद के पास, कुएं के पास	नसरुल्लागंज	अनारक्षित ओपन
15	नीलकंठ रोड पार्क के पास	नसरुल्लागंज	आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित वर्ग ओपन
17	बस स्टैण्ड यात्री प्रतिकालय के बगल में	नसरुल्लागंज	आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित वर्ग ओपन
18	राजेश शर्मा एवं भगवानदास मालवीय के बीच आबादी भूमि बुधनी घाट	बुधनी	अनुसूचित जनजाति महिला
19	पी.डब्ल्यू.डी. ऑफिस के बाजू में मेन रोड बुधनी	बुधनी	अनारक्षित ओपन
20	सामूदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सामने मेन गेट के पास	बुधनी	अनुसूचित जाति ओपन
21	ओवरब्रिज तिगड्डे के नीचे बुधनी	बुधनी	अन्य पिछड़ा वर्ग ओपन
22	उद्योग विभाग मेन रोड माना	बुधनी	आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित वर्ग महिला
24	सब्जी मण्डी हाट बाजार बकतरा	बकतरा	अनारक्षित ओपन अस्थिबाधित
25	राम मंदिर, तालाब के पास बकतरा	बकतरा	अनुसूचित जाति ओपन
26	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बाउंड्री के पास	डोबी	अनुसूचित जनजाति महिला

राजगढ़ शहर में पार्लर रखने हेतु आरक्षित स्थलो की सूची।

साँची पार्लर साइज '8 X 8'

पार्लर क्र.	स्थान का नाम	शहर का नाम	वर्ग
2	श्री जैन महावीर कीर्ती स्तम्भ के सामने पुराना बस स्टैंड	राजगढ़	सामान्य महिला
4	शिक्षक कालोनी चौराहा	राजगढ़	अनुसूचित जनजाति ओपन
5	संकट मोचन कालोनी।	राजगढ़	ओपन
6	शंकर कालोनी राजगढ़।	राजगढ़	अनुसूचित जाति ओपन

गुना शहर में पार्लर रखने हेतु आरक्षित स्थलो की सूची।

साँची पार्लर साइज '8 X 8'

पार्लर क्र.	स्थान का नाम	शहर का नाम	वर्ग
1	बजरंगढ़ चौराहे के पास।	गुना	अनुसूचित जाति ओपन
3	दरगाह के सामने।	गुना	ओपन
7	प्रतीक्षालय के पास जनपद ऑफिस की बाउंड्री से लगकर।	गुना	अन्य पिछड़ा वर्ग ओपन
8	कोर्ट की बाउंड्री से लगकर।	गुना	आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित
9	संजय स्टेडियम की बाउंड्री से लगकर।	गुना	अनुसूचित जनजाति ओपन
11	कैंट चौराहा के पास नगर पालिका शॉपिंग कामप्लेक्स में	गुना	सामान्य महिला
15	बी.जी. रोड तिराहे पर।	गुना	अनुसूचित जनजाति ओपन
17	नगर पालिका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास।	गुना	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला

रायसेन शहर में पार्लर रखने हेतु आरक्षित स्थलो की सूची।

साँची पार्लर साइज '8 x 8'

पार्लर क्र.	स्थान का नाम	शहर का नाम	वर्ग
1	नवीन बस स्टैंड छात्रावास के पास	रायसेन	अनुसूचित जनजाति महिला
3	सागर चौराहा पेट्रोल पम्प के पास	रायसेन	अनुसूचित जनजाति ओपन

विदिशा शहर में पार्लर रखने हेतु आरक्षित स्थलो की सूची।

साँची पार्लर साइज '8 x 8'

पार्लर क्र.	स्थान का नाम	शहर का नाम	वर्ग
7	खरीफाटक ओवर ब्रिज के नीचे	विदिशा	अर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित
13	आरा मशीन चौराहा पीपल के पड़ के पास	विदिशा	अनुसूचित जनजाति ओपन
15	रीठा फाटक चर्म शोधन केन्द्र के पास	विदिशा	अनुसूचित जनजाति महिला
18	अंदर किला शिव मंदिर के पास	विदिशा	अनुसूचित जनजाति ओपन

शाजापुर अंतर्गत शुजालपुर शहर में पार्लर रखने हेतु आरक्षित स्थलो की सूची।

साँची पार्लर साइज '8 x 8'

पार्लर क्र.	स्थान का नाम	शहर का नाम	वर्ग
01	मंडी चौराहा (पीडब्लूडी आफिस के सामने) रोड के किनारे	शुजालपुर	अनुसूचित जनजाति ओपन
03	अकोदिया नाका चौराहा सिटी मण्डी रोड के किनारे	शुजालपुर	सामान्य महिला
04	शा.जे.एन.एस कॉलेज के सामने, बस स्टॉप के बाजू में	शुजालपुर	अनुसूचित जनजाति ओपन